भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-97

उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

आंध्र प्रदेश के स्कूल छात्रावासों में भोजन से विषाक्तता संबंधी घटना

†97. **श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों/छात्रावासों में कथित तौर पर गंदे आरओ प्लांट, रुके हुए पानी की टंकियों और अस्वच्छ रसोई की स्थिति के कारण बार-बार होने वाली भोजन से विषाक्तता संबंधी घटनाओं का संज्ञान लिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा या राज्य शिक्षा विभागों के समन्वय से ऐसे संस्थानों में खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई निवारक संपरीक्षा, निरीक्षण या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और कल्याण छात्रावासों के लिए अनिवार्य त्रैमासिक निरीक्षण और डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की जाती है ताकि बालवाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा I से VIII तक के बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना में पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू कार्यकरण की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध करना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बच्चों को गर्म भोजन परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन तैयार करने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड मदें खरीदने के लिए स्कूलों को अनुदेश दिए गए हैं। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या कानून द्वारा प्रत्यायन प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों की परीक्षण का प्रावधान है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के मापदंडों को पूरा करते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इन दिशा-निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पोषण, खाना पकाने की प्रक्रियाओं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियां तैयार करने, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइया-सह-सहायकों के प्रशिक्षण का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र होटल प्रबंधन संस्थानों, खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य विश्वविद्यालयों आदि के सहयोग से सीसीएच को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाना पकाने की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं और विजेताओं को विविध और पौष्टिक भोजन पकाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार भी देते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्धारित पोषण और खाद्य मानदंडों के भीतर स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मेनू तय करने और बाजरा, सब्जियों, मसालों आदि जैसे स्थानीय रूप से उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दिशा-निर्देशों में स्कूल के सभी बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की भी परिकल्पना की गई है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जल/खाद्य संदूषण की कुछ घटनाएं हुई हैं और प्रभावित छात्रों को तत्काल अस्पतालों में भर्ती कराया गया था और उपचार के बाद उन सभी को सुरक्षित रूप से छुट्टी दे दी गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, राज्य में सभी सरकारी छात्रावासों में विशेष निरीक्षण किए गए हैं और दोषों को दूर करने के लिए कार्रवाई की गई है।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने शिक्षकों/छात्रों के लिए खाद्य सुरक्षा गाइडबुक तैयार की है। पुस्तिका में खाद्य पदार्थों में मिलावट संबंधी विभिन्न जांच करने के तरीके की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। एफएसएसएआई ने अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से एक समर्पित प्लेलिस्ट "मिलावट की जांच कैसे करें" बनाई है। एफएसएसएआई के पास दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने और प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) नामक मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पोषण माह/पोषण पखवाड़ा के माध्यम से सामुदायिक जुटान की सुविधा प्रदान की जाती है और यह सुनिश्चित की जाती है कि स्कूल विशेष स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की बैठकों, पोषण और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान जैसी सार्थक गतिविधियां संचालित करें। स्कूल स्तर पर बाजरा के उपयोग, हैंडवॉश, बैलेंस डाइट और हरी पत्तेदार सब्जियों के महत्व आदि के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग प्रतियोगिता, रैली, नुक्कड़ नाटक जैसी विभिन्न अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रावासों के रखरखाव, बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता, आकस्मिक घटनाओं की रिपोर्टिंग और संकट प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। पानी की टंकियों की सफाई, आरओ प्लांट्स का रखरखाव, संरक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में रहने वाली सभी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

*****